



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष : 2023-2024

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in

Email : rajasthantaxboard@rajasthan.gov.in, rajtaxboard@yahoo.co.in

0145- 2627803 (Phone & Fax)

विषय सूची

<u>क्रम संख्या</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1.	प्रस्तावना, गठन	3
2.	संगठनात्मक ढांचा, प्रशासनिक एवं न्यायिक पद	4
3.	वर्तमान गठन, बजट स्थिति, पुस्तकालय एवं वर्षवार प्रकरणों की स्थिति	5
4.	वर्ष 2023 को प्रकरणों की स्थिति	6
5.	पदस्थापित अधिकारीगणों के कार्यालय/निवास दूरभाष नम्बर एवं सूचना का अधिकार के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारी	7
6.	सार संक्षेप	8

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 – 2024

प्रस्तावना :

1.0 राजस्थान विक्रय कर अधिकरण, अजमेर की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि विक्रय कर अधिनियम व नियमों की सुसंगत व्याख्या की जा सके। अधिकरण के गठन से पूर्व विक्रय कर से संबंधित प्रकरणों में द्वितीय अपील के प्रावधान नहीं थे और उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग के प्रथम अपील आदेश के विरुद्ध केवल मात्र निगरानी ही राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हो सकती थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

2.0 राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-2 में संशोधन कर राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के स्थान पर राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को 'चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी' घोषित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। उक्त वित्त अधिनियम, 2005 का संशोधन दिनांक 24.03.2005 से प्रभावी हुआ, जिसके अन्तर्गत राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित स्टाम्प सम्बन्धित विवादित प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित किये गये, जिनकी सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता अधिसूचना दिनांक 25.09.2006 द्वारा प्रदान की गयी है।

2.1 राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील/रिवीजन सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 06.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है। उक्त संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल, अजमेर में लम्बित आबकारी से संबंधित अपीलें/निगरानियां राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को स्थानान्तरित की गयी, जिनकी नियमित सुनवायी एवं निस्तारण कर बोर्ड, अजमेर की खण्डपीठ द्वारा किया जा रहा है।


3.0 गठन :

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है तथा वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं पाँच सदस्य पदस्थापित है। कर बोर्ड में पदस्थापित सदस्यों को वेतन एवं भत्ते राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9(7)(क) के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल स्तर के अधिकारी के समान देय है। कर बोर्ड में सदस्य पद पर चयन राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9 में निहित प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

3.1 कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर दिनांक 28.01.1994 से राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते हैं। रजिस्ट्रार का पद राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के उपायुक्त स्तर का है।

राजस्थान कर बोर्ड के रेग्यूलेशन-17 (नियम अधिनियम) भी राजस्थान राज-पत्र (Rajasthan Gazette) में प्रकाशित किये जा चुके है, जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित है।

कर बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा :



3.2 राजस्थान कर बोर्ड में प्रशासनिक एवं न्यायिक पद

क्र.सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	अध्यक्ष (आई.ए.एस.)	1	1	—
2.	सदस्य	6	5	1
3.	रजिस्ट्रार	1	1	—
4.	सहायक रजिस्ट्रार	1	1	—
5.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	1	—
6.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I	1	1	—
7.	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	—
8.	निजी सहायक	1	—	1
9.	आशुलिपिक	4	4	—
10.	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	—
11.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II	1	—	1
12.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	1	1
13.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	3	3	—
14.	वरिष्ठ सहायक	7	7	—
15.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	—
16.	कनिष्ठ सहायक	10	5	5
17.	सूचना सहायक	2	1	1
18.	वाहन चालक	2	—	2
19.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	5	4
20.	प्रोसेस सरवर	2	2	—
योग		57	41	16

4.0 कर बोर्ड का वर्तमान गठन निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं	नाम	पद	अवधि
1.	श्री के.के.पाठक, आई.ए.एस. (शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान, जयपुर)	अध्यक्ष	03.11.23 से अतिरिक्त कार्यभार
2.	श्री सुकेश कुमार जैन, आरएचजेएस	सदस्य	09.04.2021 से निरन्तर
3.	श्री खजान सिंह, आई.ए.एस	सदस्य	05.10.2023 से निरन्तर
4.	श्री हेमन्त जैन, वाणिज्यिक कर सेवा	सदस्य	17.03.2023 से निरन्तर
5.	श्री राजकुमार, वाणिज्यिक कर सेवा	सदस्य	17.03.2023 से निरन्तर
6.	श्री सतीश कुमार उपाध्याय, वाणिज्यिक कर सेवा	सदस्य	17.03.2023 से निरन्तर
7.	श्री सुनील खण्डेलवाल	रजिस्ट्रार	02.11.2021 से निरन्तर
8.	डॉ. हेमलता पालीवाल	सह.रजिस्ट्रार	01.11.2021 से निरन्तर

5.0 बजट स्थिति :

वर्ष 2023-2024 तक के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से है :-
(राशि रुपये लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट आवंटन (B.E.)	दिसम्बर, 2023 तक (रु.) व्यय
1	संवैतन	485.00	363.39
2	यात्रा भत्ता	12.00	5.63
3	चिकित्सा व्यय	0.50	0.49
4	कार्यालय व्यय	8.00	6.42
5	वाहन संधारण	2.50	2.07
6	विद्युत प्रभार	11.00	5.65
7	पुस्तकालय	1.00	0.76
8	वाहन किराया	18.00	15.07
9	वर्दी	0.18	0.15
10	संविदा व्यय	19.50	13.11
11	कम्प्यूटराइजेशन व्यय	3.00	0.35

6.0 पुस्तकालय :-

कर बोर्ड में एक पुस्तकालय है, जिससे माननीय पीठ एवं अभिभाषकों के उपयोग हेतु विधि सम्बन्धी व अन्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 9860 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

7.0 वर्षवार प्रकरणों की स्थिति :-

वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 तीन वर्षों में दायर एवं निस्तारित (विक्रय कर/स्टाम्प/भूमिकर एवं आबकारी) प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वाद	2021 (दिनांक 31.12.21)	2022 (दिनांक 31.12.22)	2023 (दिनांक 31.12.23)
1.	बकाया प्रकरण	7610	6769	4948
2.	दायर प्रकरण	767	539	266
3.	निस्तारित प्रकरण	1608	2454	2105
4.	शेष प्रकरण	6769	4948	3109

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के अपील प्रकरणों एवं मुद्रांक अधिनियम के जिन प्रकरणों में विवादास्पद राशि दस लाख रुपए से कम है, उनकी सुनवायी एकलपीठ एवं जिन प्रकरणों में विवादित राशि रुपये दस लाख से अधिक है, उन प्रकरणों की तथा आबकारी अधिनियम के समस्त वादों की सुनवायी खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहदपीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

8.0 वर्ष 2023-24 के दौरान माह दिसम्बर, 2023 तक प्रकरणों के दायर/निस्तारण की माहवार प्रगति निम्नानुसार रही :-

1.1.2023 को शेष प्रकरण

डी.बी.	एस.बी.	कुल प्रकरण
2310	2638	4948

वर्ष 2023

माह	दायर वाद		निस्तारित वाद		शेष		योग
	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	डी बी	एस बी	
					*BF 2310	2638	4948
जनवरी	20	13	0	26	2330	2625	4955
फरवरी	17	12	0	24	2347	2613	4960
मार्च	06	12	23	13	2330	2612	4942
अप्रैल	5	12	50	49	2285	2575	4860
मई	14	07	79	87	2220	2495	4715
जून	12	8	159	107	2073	2396	4469
जुलाई	02	07	143	170	1932	2233	4165
अगस्त	09	05	166	140	1775	2098	3873
सितम्बर	28	02	186	68	1617	2032	3649
अक्टूबर	16	19	147	123	1486	1928	3414
नवम्बर	08	06	51	113	1443	1821	3264
दिसम्बर	13	13	133	48	1323	1786	3109

* पिछला अग्रेसित

9.0 अजमेर मुख्यालय पर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में तीन एकलपीठ (एस.बी.) तथा माह के द्वितीय एवं चतुर्थ सप्ताह के सभी कार्य दिवस एवं माह के प्रथम, तृतीय व पंचम सप्ताह के अंतिम दो दिवस में खण्डपीठ (डी.बी.) द्वारा प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है, जिसमें प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह में प्रथम तीन दिवसों में खण्डपीठ द्वारा लम्बित प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह के प्रथम तीन दिवसों के अतिरिक्त अन्तिम दो कार्य दिवसों में एकलपीठ द्वारा कैम्प जयपुर में लम्बित निगरानी एवं अपील प्रकरणों की सुनवायी की जा रही हैं। कैम्प जयपुर में गठित खण्डपीठ व एकलपीठ में मुख्यतः जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, झुन्झुनूं, दौसा, एवं चूरू जिले के प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

व्यवहारियों की सुविधा के लिये राजस्थान कर बोर्ड के समस्त निर्णयों को माह जनवरी, 2014 से निरन्तर कर बोर्ड की विभागीय वेबसाईट www.taxboard.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जा रहा है।

कर बोर्ड में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पारदर्शिता, अभिभाषक एवं व्यवहारीगणों की सुविधार्थ ऑनलाइन टैक्स बोर्ड सिस्टम माह नवम्बर, 2018 में लागू किया गया।

10. राजस्थान कर बोर्ड में पदस्थापित अधिकारियों के कार्यालय/निवास के फोन नम्बर निम्नानुसार है :-

क्रमांक	नाम	पद	मोबाईल	कार्यालय	निवास
1	श्री के.के.पाठक, आई.ए.एस. (शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान, जयपुर)	अध्यक्ष	9414186838	0145-2627903	-
2	श्री सुकेश कुमार जैन	सदस्य	9413259361	0145-2627703	-
3	श्री खजान सिंह	सदस्य	9414015939		-
4	श्री हेमन्त जैन	सदस्य	9414234080		
5	श्री राजकुमार	सदस्य	9929631333		
6	श्री सतीश कुमार उपाध्याय	सदस्य	9414120804		
7	श्री सुनील खण्डेलवाल	रजिस्ट्रार	9414212679	0145-2627803	
8	डॉ. हेमलता पालीवाल	सहायक रजिस्ट्रार	9929153038	0145-2627803	

11. सूचना के अधिकार के अंतर्गत :-

: लोक सूचना अधिकारी :

श्री सुनील खण्डेलवाल, रजिस्ट्रार

Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) (Mo.) 9414212679

: विभागीय अपीलेट ऑथोरिटी :

श्री के.के.पाठक, आई.ए.एस., अध्यक्ष

Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627903 (Phone)

12.

: मुख्य सतर्कता अधिकारी :

श्री सुनील खण्डेलवाल, रजिस्ट्रार

Website : www.taxboard.rajasthan.gov.in
0145- 2627803 (Phone & Fax) (Mo.) 9414212679

सार संक्षेप :

राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की स्थापना दिनांक 01.05.1985 को विक्रय कर से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों (द्वितीय अपील) का शीघ्र निपटारा करने व निर्णयों में एकरूपता रखने के उद्देश्य से की गई थी। दिनांक 01.10.1995 से राजस्थान विक्रय कर अधिकरण का नाम परिवर्तित कर 'राजस्थान कर बोर्ड' कर दिया गया।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2005 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-2 में संशोधन कर राजस्थान कर बोर्ड को स्टाम्प सम्बन्धित प्रकरणों की निगरानी सुनने, माननीय उच्च न्यायालय को रेफरेन्स भिजवाने, पेनल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रिफण्ड आदि की शक्तियां प्रदान की गयी है। साथ ही राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 में कर बोर्ड को भूमि कर से संबंधित निगरानी सुनने की अधिकारिता दिनांक 25.09.2006 की अधिसूचना द्वारा प्रदान की गयी है।

राजस्थान आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2007 के द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9 क में हुए संशोधन के पूर्व आबकारी मामलों में आयुक्त आबकारी के निर्णयों के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर को अपील सुनने की अधिकारिता थी। उक्त संशोधन दिनांक 08.06.2007 से प्रभावी हुआ है एवं तदनुसार आबकारी आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध अपील/रिवीजन की सुनवायी की अधिकारिता राजस्थान कर बोर्ड को प्राप्त हो गयी है।

कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों के पद सृजित है कर बोर्ड के न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन हेतु रजिस्ट्रार का पद सृजित है। रजिस्ट्रार पद पर राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के चयनित/सुपर टाईम वेतन श्रृंखला के अधिकारी पदस्थापित होते हैं। रजिस्ट्रार का पद राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के संयुक्त आयुक्त स्तर का है।

कर बोर्ड में विचाराधीन प्रकरणों की सुनवायी एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय परिस्थितियों में एस.बी./डी.बी. द्वारा कोई कानूनी बिन्दु निहित होने पर दो सदस्य से अधिक सदस्यों वाली पीठ (वृहदपीठ) को निर्णय हेतु प्रकरण संदर्भित किया जाता है।

अजमेर मुख्यालय के अलावा राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ एवं खण्डपीठ कैम्प जयपुर में प्रत्येक माह के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सप्ताह में योजना भवन में आयोजित की जाती है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण एवं वादकारों की सुविधा हेतु राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा जोधपुर/उदयपुर में भी त्रैमासिक रूप से प्रकरणों की सुनवायी की जा रही है।

व्यवहारियों की सुविधा के लिये राजस्थान कर बोर्ड के समस्त निर्णयों को माह जनवरी, 2014 से निरन्तर कर बोर्ड की विभागीय वेबसाईट www.taxboard.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया जा रहा है।

कर बोर्ड में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की पारदर्शिता, अभिभाषक एवं व्यवहारीगणों की सुविधार्थ ऑनलाइन टैक्स बोर्ड सिस्टम माह नवम्बर, 2018 में लागू किया गया।